International Journal of Humanities and Social Science Research
ISSN: 2455-2070; Impact Factor: RJIF 5.22
Received: 13-05-2020; Accepted: 26-05-2020; Published: 15-06-2020
www.socialsciencejournal.in
Volume 6; Issue 3; 2020; Page No. 116-122

विदर्भ की एकल महिला किसान को सशक्त बनाने में स्वयंसेवी संगठन की भूमिका

अभिषेक कुमार राय

शोधार्थी, समाज कार्य, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र, भारत

सारांश

भारत के कृषि क्षेत्र में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। कृषि में महिला किसान कृषि के सभी चरणों में एक बहुआयामी भूमिका निभाती है। चाहे वह बुवाई से रोपण, सिंचाई, उर्वरक, फसल संरक्षण, कटाई, निराई, भंडारण और पशु प्रबंधन हो, महिला किसान सुबह के सूर्योदय से शाम के सूर्यास्त तक कृषि कार्य में लगी रहती है। जिसकी वजह से वह कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी घिरी रहती है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में कृषि कार्य एक पुरुष प्रधान कार्य माना जाता है। इसलिए कृषि में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम सम्मान प्राप्त होता है। कम पढ़ाई और जागरूकता की कमी से महिलाएं अपने अधिकार और उचित सम्मान/भाव/मजदूरी को प्राप्त नही कर पाती है। यहाँ कृषि में एकल महिला किसान की स्थिति और चिंता जनक होती है। एकल महिला किसान से तात्पर्य वह महिला जिनके पति ने आत्महत्या कर ली हो, तलाकशुदा हो, पति की मृत्यु हो गई हो, परित्तक्ता हो, प्रौढ़कुवारी हो अथवा पति प्रवासी हो। ऐसी महिलाओं को कई संकटों और चुनौतियों का सामना समाज, कृषि, आजीविका, परिवार संचालन में करना पड़ता है। एकल महिला किसान को परिवार प्रबंधन, कृषि प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन के लिए मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अंतिम पायदान की परिधि में रहने वाली महिलाओं को सशक्त किए बिना महिला सशक्तिकरण की परिकल्पना पूर्ण नहीं हो सकती है। एकल महिला किसान को सशक्त बनाने और उनको बेहतर जीवन उपलब्ध करवाने में विदर्भ के कई स्वयंसेवी संगठन अपनी भूमिका निभा रहे है। इस शोध पत्र का प्रमुख उद्देश्य विदर्भ में एकल महिला किसान की समस्या एवं चुनौती को देखना, विदर्भ में एकल महिला किसान के सशक्तिकरण एवं विकास में स्वयंसेवी संगठन की रणनीतिक भूमिका, उनके कार्यक्रम, उनकी अभ्यासीय विधि, अर्जित अनुभव एवं समस्या का अध्ययन करना है। शोध पत्र गुणात्मक प्रकृति पर आधारित है, जिसमें गुणात्मक प्रविधि, उपकरण का उपयोग करते हुए उसके अंतर्वस्तु विश्लेषण से शोध पत्र की व्यापक व्याख्या कर उसका विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

मुख्य शब्द: विदर्भ, एकल महिला किसान, सशक्तिकरण एवं स्वयंसेवी संगठन

प्रस्तावना

कृषि एवं किसान भारतीय अर्थ व्यवस्था का मेरुदंड है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख रोजगार प्रदाता क्षेत्र भी माना जाता है। लगभग साठ प्रतिशत अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन कृषि ही है। लेकिन आज कृषि एवं किसानी से जुड़ा समूचा समाजतंत्र एवं अर्थतंत्र बारहोंमास संकट से जूझ रहा है। जिसका परिणाम यह है कि कृषि का हिस्सा जीडीपी में लगातार घटता जा रहा है। सरकार की हरित क्रांति एवं तमाम परियोजनाएं कृषि एवं किसानों की दशा एवं दिशा बदलने में सक्षम दिखाई प्रतीत नहीं हो रही है। जिससे कृषि एवं किसान दोनों बदहाल हैं। आज कृषि एवं किसान दिक्कतों की पैदावार बन गए है, परिणामतः किसान और उनके बच्चे कृषि से दूर होते जा रहे है। सेंसस रिपोर्ट 2011 के अनुसार रोज 2.5 हजार किसान किसानी छोड़ रहे है। पाँच सालों में किसानों की आय दुगनी करने के सरकारी दावों के बीच कृषि एवं किसान एक चिंता का विषय बना हुआ है। विदर्भ का किसान महाराष्ट्र सहित पूरे भारत में चर्चा का विषय बना रहता है। चर्चा का कारण यहां होने वाली किसान अत्महत्याएं हैं। आज विदर्भ के किसानों पर कृषि कर्ज का दबाव, खेती की कठिन दशाएँ (बढ़ती खेती की लागत, एक फसलीय खेती, बींज, सिंचाई), फसल की उचित कीमत, मिट्टी की गुणवत्ता, किसान कर्जमाफी की राजनीति एवं किसान अत्महत्या ने कृषि एवं किसान को तोड़ कर रख दिया है। एनसीआरबी के अनुसार 1995-2013 तक महाराष्ट्र में 60,750 किसान अत्महत्या किए थे, जिनमें सर्वाधिक किसान विदर्भ से थे। 2015 में 3030 किसानों ने अत्महत्या की, यह संख्या रुकने की बजाय बढ़ती जा रही है। (डी. डब्लू: 2017) भारत सरकार एवं राज्य सरकार के कई कृषि कार्यक्रम, योजनाओं, पैकेज, किसान कर्जमाफी के बाद भी यहां किसानों के हालात में सुधार देखने को नहीं मिल रहा है और किसान आत्महत्याएं बढ़ती जा रही है। अभी पिछले विधानसभा सत्र (2019) में राहत और पुनर्वास मंत्री ने विधानसभा में सवाल का जवाब देते हुए बताया कि जनवरी 2015 से दिसंबर 2018 के बीच 12,021 किसानों ने आत्महत्या की है। (द वायर एवं नवभारत टाइम्स: 2019) जिनमें विदर्भ के किसानों की संख्या सर्वाधिक है। किसान अत्महत्या के बाद किसान का पूरा परिवार टूट जाता है, जिसका दबाव एकल महिला किसान पर एक संकट/आपदा/चुनौती की तरह आ जाता है। विदर्भ में कुल एकल महिला किसान की प्रमाणित संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध नहीं है, फिर भी स्वयंसेवी संगठनों के अनुमान के मुताबिक उनकी अनुमानित संख्या 5 से 6 हजार के बीच है। जो स्वयं, परिवार, कृषि एवं आजीविका के लिए संघर्षरत है।

एकल महिला किसान

स्वयंसेवी संगठनों के अनुसार एकल महिला किसान से संबंध उन महिलाओं से है, जिनके किसान पति ने आत्महत्या कर ली हो, पति की मृत्यु हो गई हो, परित्तक्ता हो, तलाकशुदा हो, प्रौढ़कुवारी हो अथवा पति प्रवासी हो और स्वयं, परिवार एवं कृषि की जिम्मेदारी खुद पर आश्रित हो। ऐसी महिलाओं को कई संकटों और चुनौतियों का सामना समाज, कृषि, आजीविका, परिवार संचालन में करना पड़ता है। एकल महिला किसान को परिवार प्रबंधन, कृषि प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन के लिए मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है। ऐसी महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक, सामाजिक, मानसिक और कानूनी अधिकार जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। पति की अनुपस्थिति में इन महिलाओं को सर्वाधिक आर्थिक संकट से लड़ना पड़ता है। किसान अत्महत्या ग्रसित महिलाओं के ऊपर पति द्वारा लिए गए कर्ज को भरने का दबाव भी बना रहता है। इन्हें परिवार का संचालन, बच्चों की शिक्षा, शादी-विवाह और खेती के लिए धन जुटाने और आजीविका निर्वहन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इन महिलाओं के पास कम कृषि भूमि, आवश्यक जानकारी एवं सुविधा का अभाव होने के कारण कृषि उपज का उचित भाव/मजदूरी नहीं मिल पाती। ऐसी महिलाएं जिनके पति के नाम कोई भूमि नही होती उनको इस स्थिति में कठिन संघर्ष करना पड़ता है।

पितृसत्तात्मक व्यवस्था में कृषि कार्य एक पुरुष प्रधान कार्य माना जाता है। इसलिए कृषि में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम सम्मान प्राप्त होता है, जबकि कृषि

श्रम में महिलाओं का योगदान सर्वाधिक होता है। समाज एवं परिवार में उन्हे पूर्णतः अधिकार से वंचित रखा जाता है। पति के न होने पर उन्हे जमीन/संपत्ति के मालिकाना हक के लिए लड़ना पड़ता है। ऐसी स्थिति उनके ससुराल और माइका दोनों जगह उत्पन्न होती है। ऐसी महिलाओं को त्यौहार, शादी विवाह में लोग बुलाने में संकोच करते हैं। ऐसी कुरीति है कि उन्हें हल्दी, कुमकुम लगाया तो उनका पति भी मर जाएगा। ऐसी महिलाओं के बच्चों की शादी में कोई भी शुभ कार्य उनके हाथों से नहीं कराया जाता, जबकि पूरा खर्च वही व्यय करती है। यहाँ समाज में पत्नी की मृत्यु पर पति की दूसरी शादी का प्रावधान है, लेकिन महिला की दूसरी शादी पर समाज/परिवार विचार तक नहीं करता। ऐसी महिलाओं पर पराये पुरुषों की नजर रहती है, वे उनका मानसिक, सामाजिक और शारीरिक शोषण के मौकों की तलाश में रहते है। ऐसी महिलाओं को अपने अधिकार/संपत्ति के लिए ससुराल और माइका दोनों जगहों पर कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। कानूनी लड़ाई लंबी और खर्चीली होती है। इस स्थिति में उन्हे सामाजिक दबाव का भी सामना करना पड़ता है। जिस कारण वह मानसिक रूप से चिंतित, व्यथित और पीड़ित महसूस करती है। कम पढ़ाई और जागरूकता की कमी से महिलाएं अपने अधिकार और सम्मान से वंचित हो जाती है। ऐसी महिलाओं को सरकारी अनुदान/सहायता/कार्यक्रम का लाभ लेने में दिक्कते आती हैं। इन परिस्थितियों में एकल महिला किसान की स्थिति समाज में हाशिए पर होती है। इनको कृषि में बुवाई से रोपण, सिंचाई, उर्वरक, फसल संरक्षण, कटाई, निराई, भंडारण, पशु प्रबंधन, चारा संग्रह, दूध निकालने जैसे अनेक श्रम के साथ खाना बनाना, बच्चों का पालन-पोषण, पीने के पानी का संग्रह, खाना बनाने के लिए लकड़ियों का संग्रह, परिवार के अन्य सदस्यों की देखभाल एवं उनकी जिम्मेदारी के साथ स्वयं को सम्हालने की जिम्मेदारी भी स्वयं पर होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीभरा होता है। ऐसी स्थिति में महिलाएं कई स्वास्थ्य संबंधी समस्या से घिरी रहती हैं और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाती है। इनको आधुनिक कृषिगत यंत्रों/ खेती की विधि की जानकारी कम रहती है, जिसके लिए इन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे कृषि में भी पिछड़ जाती हैं। इन कारणों से यह महिलाएं बहुआयामी हाशिए पर हैं। आज महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया में बहुआयामी हाशिए पर खड़ी इन महिलाओं को भागीदार बनाए बिना समाज में महिला सशक्तिकरण की अवधारणा पूरी नहीं हो सकती है।

महिला सशक्तिकरण

महिलाएं मानवता का आधा हिस्सा हैं, लेकिन वह आज भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से हाशिए पर हैं। पिछले कई दशकों से केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारें, स्वयंसेवी संगठन और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां महिलाओं की स्थिति के बारे में जागरूक और चिंतित है। इनके माध्यम से महिलाओं की शिक्षा, पोषण, सामाजिक सुरक्षा, सहायता, अधिकारों में सुधार और उनकी आय अर्जन की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सशक्तिकरण आंतरिक परिवर्तन अथवा शक्ति की एक प्रक्रिया है, जो महिलाओं की क्षमताओं का विकास या शक्ति का संवर्धन, लिंग, या शक्ति के साथ जुड़ी अधीनता पर सवाल उठाने और बदलने के उद्देश्य से होती है। इसमें आत्मविश्वास मजबूत करने और स्वयं की भूमिका में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सशक्त किया जाता है, ताकि महिला अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय मजबूती से ले सके। महिलाओं को पुरुषों के समान बराबरी का स्थान मिल सके और उनके बीच के अंतर को खत्म किया जा सके। इस संदर्भ में स्वयंसेवी संगठन सशक्तिकरण के तीन आयाम सूक्ष्म स्तर (व्यक्तिगत), मध्यम स्तर (परिवार, समूह, समुदाय, संस्था) और दीर्घ स्तर (एक बड़े सामाजिक संदर्भ में) पर अपने कार्यक्रम, रणनीति और हस्तक्षेप में महिलाओं की भागीदारी को शामिल करते हैं, उन्हे उनके रूप में संगठित करते हैं और उनकी स्थिति को मजबूती देने का प्रयास करते हैं। विदर्भ में कई स्वयंसेवी संगठन इस प्रक्रिया में महिलाओं के साथ हस्तक्षेप कर रहे हैं।

स्वयंसेवी संगठन

देश के विकास में सरकार और निजी क्षेत्र के बाद कोई क्षेत्र मजबूती से देश के विकास में योगदान दे रहा है तो वह तीसरा क्षेत्र है। स्वयंसेवी क्षेत्र जिसे विश्व में थर्ड सेक्टर (Third Sector), तीसरा पैर (Third leg), त्रिमूर्ति (Trinity) और भारत में स्वयंसेवी क्षेत्र (Voluntary Sector), स्वैच्छिक समाज (Civil Society), लोगों का क्षेत्र (People's Sector) के तौर पर जाना जाता है। आज यह क्षेत्र आमजन, पिछड़े, वंचित, शोषित लोगों के लिए समानता, सेवाओं की पहुंच और सहयोग, क्षमता निर्माण, शोध और वकालत के माध्यम से निचले पायदान के व्यक्ति को बेहतर एवं समान जीवन प्रदान करने में लगे हैं। यह क्षेत्र सरकारी, निजी और अन्य के साथ घनिष्ठ सहयोग एवं साझेदारी के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। आज यह क्षेत्र अधिक संख्या में, नए क्षेत्र में और नई रणनीति से कार्य कर रहे हैं। इसे कई शब्द रूप में जाना जा सकता है, जैसे गैर-सरकारी संगठन (NGO), अलाभकारी संगठन (NPO), नॉन-स्टेट एक्टर (NSA), स्वैच्छिक समाज संगठन (CSO) इत्यादि। भारत में इसे स्वयंसेवी प्रयास, स्वैच्छिक संघ, स्वैच्छिक संस्था, स्वैच्छिक एजेंट, स्वयंसेवी संगठन से जाना जाता है। अपनी अधिकतर संख्या के माध्यम से यह देश के आर्थिक-सामाजिक मुद्दों पर कई वर्षों से अनवरत कार्य कर रहे हैं और देश के विकास में योगदान दे रहे हैं। आज देश में स्वयंसेवी संगठन पानी, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, पर्यावरण, सशक्तिकरण (महिला, बाल, आदिवासी, उपेक्षित), कृषि और आजीविका के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। स्वयंसेवी संगठन को कुछ बिन्दुओं से समझा जा सकता है, जैसे:

सेवा प्रदाता: सेवा प्रदाता के रूप में स्वयंसेवी संगठन को मुख्यतः सरकारी, निजी क्षेत्र, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दान एजेंसियों से सहयोग प्राप्त होता है। यह सहयोग उनकी दृष्टि, नीति, हस्तक्षेप, क्षमता, पहुच, समय पर उपलब्धता, और धरातलीय बदलाव की पहचान पर प्राप्त होता है। सेवा प्रदाता के रूप में स्वयंसेवी संगठन को गरीब, उपेक्षित, दूरवर्ती जनसंख्या के साथ सहज संवाद स्थापित करने और उनसे आसानी से जुड़कर कार्य करने तथा तेजी से परिणाम देने की उच्च क्षमता होती है। नवोन्मेष : मानव केन्द्रित विकास के लिए स्वयंसेवी संगठन नए तरीको का प्रयोग करते रहते है और उसे सतत बनाते है। अपने लचीले और जोखिम भरे प्रयोगों के माध्यम से वह विधि, मॉडल, उपकरण का विकास करते है। जिसे बड़े स्तर पर राज्य, केंद्र सरकार और वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया जाता है। स्वयंसेवी संगठन द्वारा बढ़ाए गए बहुत से नवोन्मेष को राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रमों में सरकार ने अपनाया जैसे, हैंड-पंप, शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, बायोगैस, सामुदायिक-जंगल, जैविक खेती और स्वयं सहायता समूह इत्यादि। सशक्तिकरण: समाज में सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े और वंचित के सशक्तिकरण में स्वयंसेवी संगठन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे, जागरूकता बढ़ाने में, सचेत करने में और संगठन निर्माण में और आजीविका संवर्धन में। स्वयंसेवी संगठन ने महिला, बाल, दलित, आदिवासी, झुग्गी अधिवासी, ग्रामीण गरीब और अन्य के अधिकारों और दायित्यों को समझाने में ध्यान दिया। जैसे, न्यूनतम मजदूरी, बंधुवा मजदूर, बाल मजदूर, सरकारी योजना की पहुच, जमीन का पट्टा, राशन कार्ड, घर, पेंशन, बन अधिकार, पानी इत्यादि क्योकि बिना इनकी पहुच के पूरे समाज का विकास संभव नहीं था। शोध और एडवोकेसी: मानव कल्याण से जुड़े नीतिगत विषयों विषयों जैसे, शिक्षा, स्वास्थ्य, मजदूरी, पंचायतीराज, महिला, पर्यावरण, अधिकार इत्यादि अनेक विषयों पर शोध कर उसके गैप को बाहर लाने और आमजन को उसके प्रति जागरूक करने और नीतिगत एडोकेसी के लिए तैयार करने में भूमिका निभाई। जो आज राष्ट्रीय नीति, कार्यक्रम का हिस्सा है और आगे शोध और एडोकेसी में लगे हुए है ताकि समान और सतत विकास को बल मिलता रहे।

साहित्य पुनरावलोकन

गांव कनेक्शन (2020) की रिपोर्ट में यूएन और मकाम के द्वारा संयुक्त राष्ट्रीय विमर्श में अत्महत्या करने वाले किसानों के घरों की महिलाओं के लिए बजट में विशेष पैकेज देने की मांग के साथ उनकी समस्याओं और घटनाओं को वर्णित किया है। जिसमें महिलाओं ने अपनी समस्या का जिक्र भी किया है। विदर्भ क्षेत्र के यवतमाल की महिला लक्ष्मी (परिवर्तित नाम) ने बताया कि "वावारहे, तर पावर आहे" (अगर जमीन है तो ताकत है)। उसने बताया कि "मेरे सास-ससुर मेरे नाम

जमीन करने से बहुत दुखी हुए। मेरे देवर ने मेरा सामान घर से बाहर फेक दिया और कहा कि मै अपने बेटे को लेकर घर से निकल जाऊ। ये सारी घटना उसी दिन हुई जिस दिन मेरे नाम की जमीन की मापी हुई। उन्होने मेरे हक की जमीन की मापी भी नहीं होने दी"। वर्धा जिले की मिनाताई (परिवर्तित नाम) ने बताया कि पेंशन की फाइल आगे बढ़ाने के लिए एक अफसर ने यौन संबंध बनाने की मांग तक की। महिलाओं के अनुसार किस प्रकार स्थानीय प्रशासन ने उनके पति की अत्महत्या को कृषि संबंधी अत्महत्या मनाने से इंकार कर दिया, जिस वजह से उनका परिवार किसी भी सहायता से वंचित रह गया। सरकार कृषि संबन्धित अत्महत्या को रोकने में असफल रही है। यहां तक कि सरकार उचित सहायता तक प्रदान करने में असफल रही है, जिसकी मदद से पीड़ित परिवार की महिलाएं अपना जीवन, जीविका और परिवार को सुचारु रूप से चला पाती। जबकि यह सभी को ज्ञात है कि भारत में कृषि संबंधी होने वाली अत्महत्याएं शासन की त्रुटिपूर्ण नीतियों का नतीजा है। रिपोर्ट के अनुसार पति की अत्महत्या के बाद भी जमीन महिलाओं के नाम हस्तांतरित नहीं की जा रही है, और महिलाओं को कई यातनाओं से गुजरना पड़ता है। संस्थागत कर्ज को माना जाता है, लेकिन साहूकार के कर्ज को योग्य, वास्तविक नही माना जाता। उनकी मांग है कि एनसीआरबी ग्रामीण और शहरी आत्महत्याओं के अन्तर्गत महिलाओं के मामलों को गृहणी और दैनिक मजदूर के रूप में दर्ज करे। बार बार आने वाली प्राकृतिक आपदाएं किसानी के संकट को और बढ़ा रही है। आज जबकि जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी वास्तविकता है और खेती पहले से कही अधिक जोखिमभरा व्यवसाय बन चुका है, फिर भी देश में प्रभावकारी फसल बीमा और आपदा क्षतिपूर्ति तन्त्र का पूर्णतः अभाव हैं। उदार या मुक्त व्यापार समझौतों के बावजूद, किसान आज अपनी लागत तक निकाल पाने में असमर्थ हो रहे हैं। टिस (2005) महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश के किसान अत्महत्या पर आधारित शोध में फसल का बार-बार बर्बाद होना, खेती की बढ़ती लागत, कर्ज, मानसून की अनिश्चितता, अधिक उर्वरक एवं कीटनाशक का उपयोग, उत्पादन में गिरावट एवं कम समर्थन मूल्य प्राप्त होने व गैर कृषि रोजगार के सीमित होने से किसान एवं कृषि हाशिए पर जा रही और किसान अत्महत्या बढ़ रही। इसमें 2001 से 2004 में हुई किसान अत्महत्या (664) को जिला, डिवीजन और क्षेत्र में बांटा गया, जिसमें सर्वाधिक किसान अत्महत्या विदर्भ (514) क्षेत्र में हुई थी। के नागराज (2008) शोध-पत्र एनसीआरबी के 1995 से 2006 के अकड़ो के अनुसार बताते हैं कि देश में लगभग 2 लाख किसान आत्महत्याएं हुई है, जो औसतन प्रति वर्ष 1600 के आस-पास है। लेकिन वे उसे सही नहीं मानते हैं, कारण आत्महत्याएं पुलिस रिकार्ड पर आधारित है। पुलिस जिसके नाम पर कृषि भूमि नहीं होती उन्हें किसान अत्महत्या में दर्ज नहीं करती है। दर्ज किसान अत्महत्या में प्रायः पुरुष (85%) होते है, महिलाएं कम होती है। उसका कारण वे महिलाओं के नाम जमीन न होना मानते है, जो पुलिस रिकार्ड में दर्ज नहीं हो पाती। राज्य सभा टीवी (2014) विदर्भ में कृषि और किसानों के लिए सरकारी योजनाओं और मौद्रिक पैकेज की घोषणा के बाद भी उनका संकट जारी है। यह स्पेशल रिपोर्ट बताती है कि विदर्भ के किसानों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। विदर्भ के कृषि संकट में असिंचित कृषि जोत (89%), बढ़ती बीज और खाद की लागत, जलवायु परिवर्तन, अस्थिर मानसून, खेती की लागत में बढ़ोतरी, बढ़ती छोटी जोत की संख्या, बढ़ता वित्तीय कर्ज, घटता वित्तीय समर्थन, बाजार के भाव में उतार चढ़ाव, बागवानी एवं पशुपालन क्षेत्र की अनदेखी प्रमुख है, ऐसी दबाव की स्थिति में यहां के किसान अत्महत्या जैसा कदम उठाने को मजबूर होते है। राज्य सभा टीवी (2014) कामनवेल्थ पार्लियामेंटरी एसोसिएशन (सीपीए) जिसमें भारत सहित 54 देश शामिल थे, अपने तीन दिन के खेती-किसानी जैसे ज्वलंत प्रश्नों पर मंथन में पाया कि खेती की दशाओं के कारण किसानों पर दबाव बढ़ रहा है। खेती पर बढ़ते दबाव के कारण किसान पलायन को मजबूर है, जिस कारण खेती का बोझ महिलाओं पर आ रहा है। जिसमें 65% श्रम महिलाओं के कंधे पर है। दुनियां में 35% महिलाएं खून की कमी से ग्रसित है। आज कृषि के आधारभूत ढांचे के विकास, ठोस उचित मूल्य तंत्र के साथ छोटे किसानों को जोखिम से बचाने की चुनौती का समाधान खोजने की अवश्यकता है। जीडीपीआरडी (2008) इस पेपर में छोटे किसानों को चिंता में देखा गया है और माना गया है कि विकास बिना सहभागिता के संभव नही है, इसलिए जो भी विकास की योजना बनाई जाय उसमे गरीब को केंद्र में रखा जाय और निर्णय प्रक्रिया में उन्हे भागीदार बनाया जाय। जिससे उनका स्वयं का विकास, सशक्तिकरण और अधिकार केन्द्रित धारणीय विकास हो सके। उनके सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक रूप से धारणीय कृषि के विकास पर ज़ोर देना होगा जिससे उपेक्षित सशक्त हो सके। इसके लिए राजनीतिक विकेन्द्रीकरण के साथ नागर समाज के संगठनों को मजबूत करना होगा। जिससे इस क्षेत्र के नीति निर्माण में सहभागिता के साथ उनके मजबूत सुझाओं को रखा जा सके। डॉ. हेगड़े एन.जी. (2010) स्वयंसेवी संगठन की भूमिका छोटे किसानों के सशक्तिकरण एवं उनके कृषि को बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। सतत आजीविका प्राप्त करने में यह संगठन बेहतर योगदान दे सकते है। स्वयंसेवी संगठनों को सफल कार्यक्रमों को लागू करने एवं स्थानीय समुदाय को जोड़कर सहकारिता को बढ़ावा देना होगा। इस काम में राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्वयंसेवी संगठन जो समुदाय कल्याण और विकास में लगे है, उनके पास आवश्यक कौशल, मानवीय संसाधन रहता है। जो उस समुदाय की समस्याओं को समझ कर उसके लिए उपयुक्त हस्तक्षेप कर उस समस्या को सही कर सकते है। ए. तौफीक (2015) महिला सशक्तिकरण इस समय का महत्वपूर्ण विषय है, जो सशक्तिकरण के माध्यम से सतत ग्रामीण विकास को बल देता है। आज महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत एवं सशक्त करने की अवश्यकता है। यह सरकार और स्वयंसेवी संगठन का केन्द्रित एजेंडा है। स्वयंसेवी संगठन उत्तर-प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वह स्वयं सहायता समूह निर्माण, शिक्षा, सरकारी सुविधाएं, मॉडल एवं अभ्यास, नेतृत्व विकास इत्यादि के माध्यम से महिलाओं के जीवन को ऊपर उठाने, जीविकोपार्जन के साधन एवं स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सशक्त बना रही है। लेकिन उनकी रफ्तार धीमी है। महिलाओं की भागीदारी ग्रामसभा की निर्णयन प्रक्रिया में भी सीमित है। आर श्रीनिवासन (2005) स्वयंसेवी संगठन केवल जरूरतमंद व्यक्तियों को सामाजिक सेवाओं का प्रदाता ही नही वरन सक्रिय रूप से धरातलीय विकास की प्रक्रिया में तेजी लाने में शामिल है। कई स्थानों पर स्वयंसेवी संगठन लोग और प्रशासन के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। स्वाभाविक तौर पर सरकारी संगठन और स्वयंसेवी संगठन के बीच तनाव भी उभरते रहते हैं। हालाकि स्वयंसेवी संगठन परिवर्तन, नवाचार को बढ़ाते हैं, ऐसा लगता है कि सभी स्वैछिक संगठन सकारात्मक, वास्तविक, प्रामाणिक और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। कुमारन मुथुस्वामी (2014) देश का विकास केवल जीडीपी के ग्रोथ से संभव नहीं है, उसके लिए प्रगतिशील सुधार की अवश्यकता है। आज देश की महत्वपूर्ण आबादी के सामाजिक अन्याय को सुधारने और उनके उन्मूलन की अवश्यकता है। सरकार के कानून, नियम, अधिकार, योजनाओं की पहुंच के साथ आज पुरूषों की सोच, व्यवहार, मनोवृत्ति बदलने की भी अवश्यकता है। आज स्वयंसेवी संगठन, एनजीओ अपने जागरूकता कार्यक्रम, सहायता, एडोकेसी इत्यादि से महिला अधिकार, न्याय, सम्मान और कल्याण में भूमिका निभा रहे है। संगठनों को अपने कार्यक्रमों और योजनाओं को ईमानदारी के साथ मजबूती से जारी रखने की अवश्यकता है। इसके साथ उन्हें संगठनात्मक मजबूती, कर्मचारी क्षमता, अच्छे प्रशासक, पारदर्शिता, जवाबदेही को भी बढ़ाना होगा। एक समान उद्देश्य के लिए काम करने वाले संगठनों का नेटवर्क विकास, सहयोग और संबंध विकास करना होगा। यहाँ एकल महिला किसान, किसान अत्महत्या परिवार को चिंता के केंद्र में रखा गया है। महिला के नाम पर जमीन न होने से उन्हें किसान का दर्जा भी नहीं मिलता है, जबकि कृषि श्रम में उनका हिस्सा सर्वाधिक होता है। एकल किसान महिलाओं को कृषि, परिवार, स्वयं को सम्हालने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसमें स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, ताकि वैसी महिलाओं को सशक्त कर समाज में उनको मजबूती प्रदान किया जा सके और उनकी चुनौतियों को कम कर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।

शोध-पत्र का उद्देश्य

- विदर्भ में एकल महिला किसान की समस्या एवं चुनौती का अध्ययन करना।

- एकल महिला किसान के सशक्तिकरण एवं विकास में स्वयंसेवी संगठन की रणनीतिक भूमिका का अध्ययन करना।
- विदर्भ में एकल महिला किसान के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में शामिल स्वयंसेवी संगठन के कार्यक्रमों का अध्ययन करना।
- विदर्भ के एकल महिला किसान के सशक्तिकरण में स्वयंसेवी संगठन द्वारा उपयोग किए जा रहे विभिन्न अभ्यासीय विधियों का अध्ययन करना।
- विदर्भ के एकल महिला किसान के सशक्तिकरण में स्वयंसेवी संगठन द्वारा अर्जित अनुभव एवं आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना।

शोध-पत्र की प्रविधि

शोध पत्र की प्रकृति गुणात्मक है। इस शोध पत्र में प्राथमिक तथ्य उद्देश्यपूर्ण निदर्शन से एकल महिला किसानों के साथ काम कर रहे स्वयंसेवी संगठन के साक्षात्कार (4), वैयक्तिक अध्ययन (4) एवं दो समूह की एकल महिला किसान (20) से बातचीत, ओपिनियन तथा फील्ड नोट्स से संकलित की गई है। दृतीयक तथ्य संकलन स्वयंसेवी संगठन के मैनुअल, मौडुल, वार्षिक रिपोर्ट, जर्नल, न्यूज पेपर एवं संबन्धित वेबसाइट से लिया गया है।

शोध-पत्र के प्रमुख परिणाम

प्रमुख परिणाम वैयक्तिक अध्ययन के रूप में निम्नवत है:-

अपेक्षा होमिओ सोसाइटी (अमरावती) का वैयक्तिक अध्ययन

अपेक्षा होमिओ सोसाइटी की स्थापना 1980 की है। यह संस्था पिछले 38 वर्ष से मानव अधिकार और सामुदायिक विकास के क्षेत्र में कार्य कर रही है। महिला सशक्तिकरण, अधिकार और विकास के स्तर पर अमरावती के 6 ब्लॉक और 280 गांव में इसका सीधा हस्तक्षेप है। अपेक्षा ने कृषि संकट और किसान अत्महत्या से निपटने के लिए स्वयंसेवी संगठनों का एक नेटवर्क (2006) तैयार किया है, जिसका नाम "किसान मित्र" है। किसान मित्र नेटवर्क में विदर्भ और मध्य-प्रदेश के 36 स्वयंसेवी संगठन जुड़े हैं।

रणनीति: उपेक्षित, पीड़ित, शोषित, दमित एकल महिला किसान की क्षमता बढ़ाना, उनके अधिकार की रक्षा और मजबूती के लिए महिलाओं के समूह/संगठन का निर्माण करना। एकल महिला किसान को सभी प्रकार के अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करना। स्वयंसेवी संगठनों एवं सामुदायिक संस्थाओं का नेटवर्क तैयार करना। महिलाओं की संस्थाओं में जन सहभागिता से निर्णय निर्माण क्षमता और शासन को मजबूती देना। सरकारी सुविधाओं/ योजनाओं/ कार्यक्रमों से एकल महिला किसान को जोड़ना एवं उनको प्राप्त करने में उनको सहयोग देना। जीविकोपार्जन के अवसर उपलब्ध कराने में सहयोग करना इत्यादि।

कार्यक्रम: आर्थिक सहयोग, घर निर्माण, जन-सुनवाई, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, एकल महिला समूह, एकल महिला बचत समूह, संवादनी, राष्ट्रीय-राज्य स्तरीय परामर्श शिविर, कृषि प्रदर्शन, महिला अधिकार, किसान पत्रिका इत्यादि ।

अभ्यासीय विधि: अन्य स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग एवं नेटवर्क के माध्यम से चिन्हित अत्महत्या पीड़ित अथवा एकल महिला किसान को स्वरोजगार हेतु नगद आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। अत्महत्या पीड़ित परिवार की एकल महिला को घर उपलब्ध करवाना। जन-सुनवाई के माध्यम से महिला अधिकार और सरकारी योजनाओं से वंचित एकल महिला किसान की मांग रखना। एकल महिला किसान को सशक्त बनाने एवं उनको आवश्यक सहयोग, प्रशिक्षण देने के लिए उन महिलाओं को प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षण देना, जिसमें कानूनी सहायता, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा योजना, आजीविकोपार्जन, उद्यमशीलता विकास, नेतृत्व विकास, तनाव प्रबंधन इत्यादि प्रमुख रहते। एकल महिला समूह का निर्माण, बैठक, कार्ययोजना, बचत गट निर्माण, खाता प्रबंधन, कर्ज वितरण नियम की जानकारी एवं प्रशिक्षण देना। संवादनी के माध्यम से कानूनी सहायता, सहयोग एवं परामर्श प्रदान करना। राष्ट्रीय-राज्य स्तरीय परामर्श शिविर के माध्यम से विषय विशेषज्ञों, किसान, महिला, स्वयंसेवी संगठनों के बीच कृषि संकट, चिंता, परिणाम, उपाय, क्रिया के लिए चर्चा, सलाह, मार्गदर्शन, मांग, नीति का निर्माण करना। कृषि प्रदर्शनी के माध्यम से जैविक खेती, मिश्रित कृषि, कीट नियंत्रण, खेती पद्धति इत्यादि पर प्रशिक्षण देना। महिला अधिकार के लिए चार्टर का निर्माण एवं एडवोकेसी करना। किसानों की स्थिति, संकट, कारण, प्रयोग पर पत्रिका का प्रकाशन इत्यादि करना।

अर्जित अनुभव/समस्या: एकल महिला किसान को अधिकार, सम्मान, संपत्ति एवं जीविकोपार्जन के संकट का सामना करना पड़ता है। एकल महिला किसान को अधिकार दिलाने में अधिक संघर्ष करना पड़ता है, उसके कारण कई लोगों से संबंध भी खराब होता है। आवश्यक एकल महिला किसान की पहचान और आर्थिक मदद देने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। स्वरोजगार एवं महिला समूह से महिलाओं को सशक्तिकरण मिल रहा है।

परिणाम: मानव अधिकार मंच (पुणे), बार काउंसिल (अमरावती), महिला किसान मंच (पुणे), नाम फाउंडेशन (विदर्भ), किसान मित्र के साथ सहयोग एवं नेटवर्क निर्माण। हैबिटेड फॉर हुमनिटी (मुंबई) के सहयोग से 87 एकल महिला किसान के लिए घर का निर्माण। 5000 से अधिक एकल महिला समूह सदस्य। एकल महिला द्वारा 7 संवादिनी केंद्र का संचालन एवं एकल महिला चार्टर का निर्माण (23 जून 2019)। लगभग 1000 से ऊपर महिलाओं को स्वरोजगार हेतु 10000 रु. की आर्थिक मदद दी गई है।

चेतना विकास (वर्धा) का वैयक्तिक अध्ययन

चेतना विकास की स्थापना वर्धा में 1978 में हुई। इस संस्था की शुरुवात 5 गांवों में अनौपचारिक समूह निर्माण से हुयी थी। आज यह संस्था वर्धा के लगभग 200 गांवों में अपना काम जारी रखे हुए है। महिलाएं, बच्चे, छोटी जोत के किसान एवं अन्य वंचित समूह संस्था के ध्यान केन्द्रित क्षेत्र है। चेतना विकास का मुख्य ध्येय लोक चेतना एवं लोक जागृति के माध्यम से लोगों द्वारा लोगों का विकास करना है।

रणनीति: मनुष्य को सर्वोतम जीवन जीने और विकास करने के लिए वैयक्तिक एवं सामाजिक तौर पर सशक्त करना जरूरी है, इसके लिए महिलाओं एवं पुरुषों के कर्तव्य एवं अधिकार की समझ बढ़ाना और उन्हें सक्षम बनाना। महिलाओं के विकास एवं उनके संगठन के लिए नए-नए तरीकों का अनुसरण करना। महिलाओं को जागरूक, शिक्षित एवं प्रशिक्षित कर स्थानीय संसाधन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना। महिलाओं के सामने आने वाली परिस्थिति, सामाजिक चुनौती एवं समस्या को हल करने की समझ बढ़ाना। न्याय पूर्ण समाज की स्थापना के लिए महिलाओं को संघटित करना एवं उन्हें उनके अधिकारों की जानकारी प्रदान करना। समाज में उपेक्षित महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन एवं नियोजन कर महिला शक्ति को बलवान बनाना।

कार्यक्रम: आर्थिक सशक्तिकरण, राजकीय सशक्तिकरण, सामाजिक-सांस्कृतिक सशक्तिकरण, पारिवारिक परामर्श एवं समायोजन एवं खेती विकास इत्यादि है।

अभ्यासीय विधि: आर्थिक सशक्तिकरण में महिलाओं के बचत समूह एवं महासंघ का निर्माण, जिसके माध्यम से व्यक्तिगत एवं समूहिक व्यवसाय के लिए कम ब्याज पर ऋण प्रदान करना। रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने वाली वस्तुओं की खरीद-बिक्री समूह के माध्यम से करना, ताकि महिलाओं की सहभागिता आर्थिक क्रियाकलाप में हो और उनका आत्मविश्वास बढ़ सके। खेती

पर निर्भर महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और उनकी आय बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, जिसमें अनुभवी व्यक्तियों द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। सामूहिक व्यवसाय के माध्यम से महिलाएं तुअर, चना, गेंहू, चावल, मूंग, हल्दी, प्याज, मिर्ची, ज्वार, सोयाबीन इत्यादि थोक भाव में खरीदी एवं बिक्री कर मुनाफा आपस में बांट लेती है। महिलाएं अपनी रोजमर्रा की अवश्यक वस्तुओं को भी थोक भाव में खरीद कर आपस में बांट लेती है, जिससे कम कीमत में वस्तुएं प्राप्त हो जाती है और महिलाओं के बीच आपसी सद्भाव, मित्रता, घनिष्ठता बढ़ती है और संघटन को मजबूती मिलती है। राजकीय सशक्तिकरण में पंचायती राज शिविर के माध्यम से महिला आरक्षण, ग्रामसभा अधिकार की समझ बढ़ाना। ग्रामसभा में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाना और उन्हें जागृत करना। सामाजिक सशक्तिकरण के रूप में महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर सम्मान, स्वतंत्रता और समान अधिकार के लिए महिलाओं और पुरुषों में परिवर्तन की चेतना का विकास करना। महिलाओं और लड़कियों के साथ होने वाले अत्याचार, छेड़छाड़ को रोकने के लिए गाँव में उनके मजबूत संगठन का निर्माण करना। विचार बैठक एवं सम्मेलन के माध्यम से पारिवारिक रिश्तों को मजबूती देना। पारंपरिक त्यौहार का आयोजन कर उसमें महिलाओं को भागीदार बनाना। पारिवारिक परामर्श एवं समायोजन के माध्यम से अन्याय निवारण समिति, मैत्री केंद्र और समाधान केंद्र का संचालन करना। अन्याय निवारण समिति गांव के मुद्दों, घटनाओं का गाँव के स्तर पर निवारण का प्रयास करती है। मैत्री केंद्र का संचालन बड़े गांवों में जहां मंडी लगती है किया जाता है, इसमें महिला-पुरुष अपनी व्यक्तिगत समस्या का समाधान, सलाह, निर्देशन प्राप्त करते है। समाधान केंद्र में दहेज, शराब, शक इत्यादि पारिवारिक समस्याओं को तालुका और जिले स्तर पर स्थापित समाधान केंद्र में परामर्श के माध्यम से सुलझाया जाता है। एकल महिलाओं को धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, संपत्ति में अधिकारों के लिए सजग करना और अधिकार दिलाने का प्रयास किया जाता है। सरकारी योजनाओं से जोड़ना एवं उनको बचत समूह से कम ब्याज पर ऋण देकर स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना। महिलाओं को जैविक खेती, बीज प्रबंधन, बाग-बगीचा, उपज बढ़ाने और बिक्री की व्यवस्था, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उनका क्षमतावर्धन किया जाता है। अन्य संस्थाओं के साथ नेटवर्क का विकास किया जाता है।

अर्जित अनुभव/समस्या: एकल महिला किसान के मस्तिष्क में समाज द्वारा इतना भर दिया गया है कि महिलाएं उसे मान कर, अपने से जोड़कर देखती है। समाज में इनके प्रति जो बदलाव आ रहा है वह बहुत धीरे-धीरे आ रहा है। महिलाओं में बदलाव उनके परिवार से आना चाहिए, जो कम दिखाई देता है। आज महिलाएं बाहर निकल रही है और परामर्श, समाधान केंद्र तक आ रही है। सरकारी योजनाओं के मापदंड अलग-अलग होने से लाभ दिलवाने में दिक्कत आती है। समूह की सदस्य होने पर ही महिला को ऋण मिल सकता है। वे महिलाए जिनके पति के नाम पर कुछ नहीं होता उन्हे खड़ा करने में कठिनाई आती है।

परिणाम: आज 200 गांवों में 300 बचत समूह, तीन परिसर महासंघ, एक महासंघ है। महासंघ का कारोबार तीन करोड़ के आस-पास हो रहा है। कृषि पर निर्भर 500 महिलाएं अलग-अलग 40 प्रकार के व्यक्तिगत स्वरोजगार कर रही है। 76 गांवों में अन्याय निवारण समिति, 12 बड़े गांवों में मैत्री केंद्र एवं 11 समाधान केंद्र चल रहे है, जिसमें साल भर में लगभग 1500 केस सुलझाने का प्रयास किया जाता है।

नाम फाउंडेशन (वर्धा) का वैयक्तिक अध्ययन

नाम फाउंडेशन का गठन 2015 में नाना पाटेकर और मकरंद अनासपूरे द्वारा किया गया। यह संस्था महाराष्ट्र में सूखा एवं उससे प्रभावित किसानों की चिंताओं को देख कर स्थापित की गई। नाम वंचित गांवों के विकास और लोगों के जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रयास कर रही है। इसका व्यापक क्षेत्र सम्पूर्ण महाराष्ट्र है।

रणनीति: बुनियादी ढांचे, शिक्षा, रोजगार, भोजन इत्यादि के माध्यम से काम कर ग्रामीण क्षेत्र की सुविधाओं का विकास करना और सतत एवं प्रगतिशील समाज का निर्माण करना है, ताकि गांवो को आत्मनिर्भर और विकसित बनाया जा सके।

कार्यक्रम: अत्महत्या प्रभावित किसान महिला को आर्थिक सहायता, सिलाई मशीन का वितरण, बकरी वितरण, नूडल्स मशीन का वितरण, दाल मिल एवं पत्रावली मशीन का वितरण, अनाज का वितरण इत्यादि कार्यक्रम।

अभ्यासीय विधि: समान समस्या पर कार्यरत स्वयंसेवी संगठन के नेटवर्क एवं उनके बचत समूह के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करना, स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भरता के लिए उपकरण प्रदान करना तथा स्वयंसेवी संगठनों के बचत समूह को मजबूती देने के लिए समूहिक व्यवसाय को बढ़ावा देना है।

अर्जित अनुभव/समस्या: महिलाओं को सशक्तिकरण मिल रहा है। महिलाएं स्वरोजगार से आजीविका संवर्धन प्राप्त कर रही और महिला बचत समूह भी व्यवसाय से लाभ प्राप्त कर रही है। एकल किसान महिलाओं की पहचान और मदद में दिक्कते आती है। कृषि समस्या में सुधार के बिना महिलाओं को मजबूती नहीं मिल सकती। सर्वाधिक तनाव, बोझ और बेबसी में उनका जीवन रहता है, जिससे उन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है।

परिणाम: विदर्भ में 808 महिलाओं को आर्थिक सहायता, 450 महिलाओं को सिलाई मशीन, 250 महिलाओं के परिवार में 500 बकरी का वितरण, वर्धा की तीन महिला बचत समूह को नूडल्स मशीन का वितरण, यवतमाल की दो महिला बचत समूह को दाल मिल एवं पत्रावली मशीन का वितरण, विदर्भ के 150 छात्रों को अनाज का वितरण इत्यादि किया गया है।

दीनदायल बहुउद्देशीय प्रसारक मंडल (यवतमाल) का वैयक्तिक अध्ययन

दीनदयाल बहुउद्देशीय प्रसारक मंडल की स्थापना 1997 में हुई है। यह आदिवासी पारधी समुदाय के उत्थान और किसान आत्महत्या पीड़ित परिवार के पुनर्वास, किसानों के व्यापक विकास और कम लागत वाली कृषि पद्धति के विकास के लिए एक मान्यता प्राप्त स्वयंसेवी संगठन है।

रणनीति: किसान अत्महत्या पीड़ित महिलाओं के सम्मान, परामर्श, शिक्षा और आजीविका कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं के स्व-जीवन के स्तर को सम्मानजनक, स्व-निर्भर बना कर उनको मजबूती प्रदान करना है।

कार्यक्रम: भाऊबीज कार्यक्रम, परामर्श, शिक्षा प्रोजेक्ट, आजीविका कार्यक्रम।

अभ्यासीय विधि: भाऊबीज एक भारतीय पारंपरिक त्यौहार दिवाली के बाद आयोजित किया जाता है। जिसमें आत्मत्या प्रभावित परिवार की महिलाओं के सम्मान, मनोबल, सहयोग के लिए संगठन के स्वयंसेवक, सदस्य उन प्रभावित महिलाओं के यहां जाते और उन्हें बहन मान कर कुछ गिफ्ट, सहयोग देते है। यह कार्यक्रम कई वर्षों से चल रहे है। छोटे किसान आर्थिक संकट से आशा के अभाव में असहाय और तनाव की वजह से अत्महत्या का कदम उठाते है। ऐसी स्थिति में संगठन ऐसे परिवारों के संपर्क में रहता है और अपने अनुभव, प्रयोग के माध्यम से उनके मनोबल को बढ़ाने का प्रयास करता है। ऐसे परिवार की महिलाओं, पुरुषों को प्रशिक्षित अभ्यासकर्ताओं, मार्गदर्शकों के माध्यम से बेहतर परामर्श उपलब्ध करवाना और उनकी जागरूकता बढ़ाना, स्वरोजगार, कौशल के अवसर और समाधान ढूंढना है। शिक्षा प्रोजेक्ट के माध्यम से आत्महत्या प्रभावित किसान परिवार के बच्चों को अपनी शिक्षा पूरा करने के लिए स्कालरशिप प्रदान किया

जाता है। जिसमें बच्चों को रहने, खाने, स्कूल की पूरी फीस, कोचिंग इत्यादि जो आवश्यक को शामिल किया जाता है। नगरी समुदाय को ऐसे प्रभावित परिवार के बच्चों की शिक्षा पूरी करने के लिए कम से कम एक बच्चे को सहयोग देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आजीविका कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं को उनकी क्षमता, योग्यता, भविष्य को देखते हुए, बकरी पालन, दुधारू पशु, छोटा व्यवसाय, सिलाई, आटा चक्की इत्यादि के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए व्यवस्थित मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

अर्जित अनुभव/ समस्या: भाऊबीज, परामर्श, शिक्षा प्रोजेक्ट, आर्थिक सहायता से महिलाओं को मजबूती मिल रही है। समाज में महिलाओं को सम्मान मिल रहा है। समाज में ऐसी महिलाओं की संख्या अधिक है, सभी तक पहुंचने और सहयोग उपलब्ध करवाने में कठिनाई आती है।

परिणाम: हर वर्ष भाऊबीज कार्यक्रम का संचालन (224 महिलाओं के साथ), वर्ष 2018 में 95 स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, 364 महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक मदद, 13 छात्राओं व 11 छात्रों को स्कालरशिप इत्यादि प्रदान किया गया है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

एकल महिला किसान का जीवन चुनौतीपूर्ण एवं बहुआयामी हाशिए पर स्थित है। ऐसी महिलाओं को स्वयं को सम्हालने, परिवार को देखने के लिए आजीविका के रूप कृषि पर निर्भर रहना पड़ता है। कम पढ़ाई, ज्ञान, कौशल और जागरूकता के अभाव में कृषि जोखिम का सामना करना पड़ता है और कृषि उत्पादन एवं दाम दोनों में पिछड़ जाती हैं। ऐसी महिलाएं आर्थिक, सामाजिक, मानसिक तनाव के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्या और शारीरिक कमजोरी का शिकार हो जाती हैं। समाज एवं परिवार उनको समान अधिकार एवं सम्मान से वंचित रखता है साथ ही उनपर कई सामाजिक कुरीतियां थोप दी जाती हैं । इससे उनका जीवन कष्टप्रद हो जाता है। अपने अधिकार, संपत्ति, सम्मान, भाव, मजदूरी के लिए उनको कठिन लड़ाई लड़नी पड़ती है। बहुत सी महिलाएं वह भी नहीं कर पाती हैंऔर घुट-घुट कर जीने को मजबूर रहती हैं। आज विदर्भ के स्वयंसेवी संगठन हाशिए पर खड़ी ऐसी महिलाओं को एकजुट करने और उनके समूह बनाने के प्रयास में लगे हैं, ताकि वैसी महिलाओं को अधिकार, सम्मान, आजीविका, कौशल के माध्यम से ऊपर उठाया जा सके और उनको बेहतर जीवन जीने का वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। यह स्वयंसेवी संगठन अपने नेटवर्क विकास और सशक्तिकरण के सूक्ष्म, मध्यम और दीर्घ आयाम के माध्यम से महिलाओं को व्यक्तिगत स्तर पर, परिवार, समूह, समुदाय, संस्था के स्तर पर एवं एक बड़े सामाजिक स्तर पर बदलाव लाने में जुटें है। जिसमें व्यक्तिगत परामर्श, प्रशिक्षण, कौशल विकास, नैसर्गिक कृषि ज्ञान, अनुदान, आर्थिक सहायता, आजीविका कार्यक्रम, भाऊबीज कार्यक्रम तथा परिवार, समूह एवं संस्था के स्तर पर अन्याय निवारण, मैत्री केंद्र, समाधान केंद्र, परिवार परामर्श एवं समायोजन, समहू निर्माण, समूह बचत गट, समहू के माध्यम से आजीविका संवर्धन, आजीविका उपकरण सहायता, शिक्षा, कानूनी सलाह, सरकारी योजनाओं से जोड़ना, कृषि प्रदर्शनी एवं विकास, महिला अधिकार, जन-सुनवाई एवं किसान पत्रिका का संपादन तथा सामाजिक स्तर पर जन-जागृति कार्यक्रम, राष्ट्रीय-राज्य स्तरीय शिविर, महिला चार्टर का निर्माण किया जा रहा है। जिससे कि इन महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक तनाव एवं चिंता से बाहर निकाला जा सके। इन कार्यक्रमों से महिलाओं को सशक्तिकरण मिल रहा है और उनके जीवन स्तर में बदलाव आ रहे है। महिलाएं अपने अधिकार, आजीविका, आत्मनिर्भरता एवं सम्मान के प्रति संगठित हुई है और अपने समूह के माध्यम से इसे जारी रखे हुई है। स्वयंसेवी संगठनों के नेटवर्क और उनके सहयोग से महिलाओं को एक नई दिशा मिल रही है और एकल महिला किसान एक बड़ा समूह संगठित हो रहा है। आज बिगड़ती खेती किसानी और विदर्भ के किसान संकट का समाधान किए बिना महिलाओं की स्थिति में स्थायी सुधार नहीं आ सकता है। आज जरूरत है खेती-किसानी पर बढ़ते दबाव/संकट/समस्या को कम करने और किसान को इससे बाहर निकालने की। जहां स्वयंसेवी संगठन एवं महिलाओं का समहू संगठित है, वहां महिलाओं को इन समस्याओं से निकलने और अपने आप को खड़ा करने में मदद मिल रही है लेकिन उनकी रफ्तार धीमी है जिसे तेज करने की अवश्यकता है। जहां स्वयंसेवी संगठन का नेटवर्क विकास नहीं है अथवा जो संगठन नेटवर्क से नहीं जुड़े है, वहां महिलाओं को जानकारी, लाभ, विकास के अवसर कम मिल रहे है। जिसे जोड़ने एवं मजबूत करने की अवश्यकता है। स्वयंसेवी संगठनों को अपने कार्यक्रम, हस्तक्षेप और प्रयास को मजबूती से जारी रखने और उसमें तेजी लाने के साथ ही अपने अभ्यासकर्ताओं के प्रशिक्षण, क्षमतावर्धन, साहित्य संवर्धन पर ध्यान देने की अवश्यकता है, ताकि उनको त्वरित एवं उचित सहयोग मिल सके। क्योकि कई संगठनों के अभ्यासकर्ता प्रशिक्षित नहीं है ना ही नवीनतम जानकारी एवं अभ्यास से परिचित है। आज स्वयंसेवी संगठनों को एकल महिला किसान के साथ हस्तक्षेप के दायरे को भी बढ़ाने की अवश्यकता है, क्योकि उनकी पहुच केवल 35 से 40% तक ही सीमित है। आज जरूरत एकल महिला किसान की चुनौती, संकट, तनाव, स्वास्थ्य समस्या, आजीविका एवं परिवार संचालन में आ रही समस्याओं पर अधिक शोध और समाधान की जिसे स्वयंसेवी संगठन, अकादमिक जगत एवं सरकार को प्राथमिकता के आधार बढ़ावा देना चाहिए।

संदर्भ सूची

1. कॉजेज ऑफ फार्मर सूइसाइड इन महाराष्ट्र: एन एनक्वायरी. (2005). टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस. http://www.tiss.edu/Causes%20of%20Farmer%20Suicides%20in%20Maharashtra.pdf
2. नागराज, के., (2008). फार्मर्स सूइसाइड इन इंडिया: मग्निटुडेस, ट्रेंड्स एंड स्पाटियल पैटर्न्स, मैक्रोस्कैन: मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडि. http://www.macroscan.org/anl/mar08/pdf/farmers_suicides.pdf
3. राज्य सभा टीवी (2014, अक्टूबर 7). स्पेशल रिपोर्ट: विदर्भा एग्रिकल्चरल क्रिसिस. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=8Ak-cAn7UmM
4. राज्य सभा टीवी (2014, नवंबर 26). स्पेशल रिपोर्ट: एग्रिकल्चर क्रिसिस क्वेस्ट फॉर सलूसन. Retrieved from https://www.youtube.com/results?search_query=Special+Report%3A+Agriculture+Crisis+quest+for+Solution
5. कुमारन, मुथुस्वामी. रोल, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रेंड्स ऑफ एनजीओइन इन वुमेन एम्पोवेरमेंट. इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एड्मिनिसट्रेशन, Vol. LX, No. 3 (जुलाई-सितंबर, 2014): 588-597
6. तौफीक, ए. हेमलता एंड अनंत, ए. (2015). रोल ऑफ एनजीओ इन वुमेन एम्पोवेरमेंट: विथ स्पेशल रेफेरेंस ऑफ उत्तर-प्रदेश. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ अप्लाइड रिसर्च, 1 (10), 115-118
7. बर्नवाल, शिखा. रोल ऑफ एनजीओ इन प्रमोटिंग इंडिजेनौस स्किल: ए केस ऑफ उदयपुर डिस्ट्रिक. इंडियन एंथ्रोपोलोजिस्ट, Vol. 25, No.1 (जून, 1995): 87-90
8. हेगड़े, जी., डॉ. नारायन, " स्माल होल्डर एंड रोल ऑफ एनजीओ इन इम्प्रोविंग देयर लिवेलिहूड्" नार्म वर्कशॉप, हैदराबाद: नार्म: 2010
9. जीडीपीआरडी. (2008). द रोल ऑफ एग्रिकल्चरल एंड रुरल डेव्लपमेंट इन पोवेर्टी रिडुक्सन: ए पोजीसन पेपर ऑफ एनजीओ: जीएनएफईडी
10. https://www.forumue.de/en/the-role-of-agriculture-and-rural-development-in-poverty-reduction-a-position-paper-of-ngos/

11. श्रीनिवासन, आर. एमेर्जिंग ट्रेंड्स इन एनजीओ सैक्टर: ए स्टडि ऑफ तमिलनाडू. द इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, Vol. LXVI, No. 2, (अप्रैल-जून, 2005): 273-289
12. गांव कनेक्शन. (27, जनवरी 2020). अत्महत्या करने वाले किसानों के घरों कि महिलाओं के लिए बजट में विशेष पैकेज देने कि मांग. Retrieved मार्च 20, 2020, from https://www.gaonconnection.com/desh/-women-forum-demands-special-budget-pkg-for-women-farmers-for-farm-suicide-families-46996
13. डी.डब्लू. (23, जनवरी 2017). और ज्यादा किसान आत्महत्या करने लगे हैं. Retrieved मार्च 2, 2020, from https://www.dw.com/hi/और-ज्यादा-किसान-आत्महत्या-करने-लगे-हैं/a-37234967
14. द वायर. (22, जून 2019). महाराष्ट्र में चार सालों में 12 हज़ार से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की. Retrieved मार्च 2, 2020, from http://thewirehindi.com/85842/farmers-suicides-in-maharashtra-during-four-years-of-devendra-fadnavis-government/
15. एनबीटी. (22, जून 2019). महाराष्ट्र: चार साल में 12,021 किसानों ने की आत्महत्या. Retrieved मार्च 2, 2020 from https://navbharattimes.indiatimes.com/metro/mumbai/other-news/12021-farmers-suicides-in-maharashtra-during-four-years-of-devendra-fadnavis-government/articleshow/69896880.cms
16. एनबीटी. (17, मई 2015). महिला किसान भी करती हैं खुदकुशी मगर रेकॉर्ड में दर्ज नहीं होता. Retrieved मार्च 5, 2020 from https://navbharattimes.indiatimes.com/business/business-news/records-may-not-show-but-women-farmers-dying-too/articleshow/47314981.cms
17. द पॉलिसी टाइम्स. (22, नवंबर 2018). पति की मृत्यु के बाद 29% किसान महिलएं अपनी ज़मींन के हक के लिए लड़ रही: मकाम. Retrieved मार्च 5, 2020 from https://thepolicytimes.com/after-husbands-death-29-farmers-are-fighting-for-their-land-rights/
18. नाम फाउंडेशन. (2020). Retrieved मार्च 1, 2020, from Initiative: http://naammh.org/
19. अपेक्षा होमेओ सोसाइटी. (2017). Retrieved मार्च 1, 2020, from https://www.apekshasociety.org
20. दीनदयाल बहु उद्देशीय प्रसारक मंडल. (2019). Retrieved मार्च 1, 2020, from http://www.deendayalvidarbha.org/
21. चेतना विकास. (2009). Retrieved मार्च 1, 2020 from http://www.chetanavikas.org/about/
22. एनसीआरबी. (2018). एक्सीडेंटल देथ्स & सूइसाइड इन इंडिया. Retrieved फरवरी 5, 2020, from https://ncrb.gov.in/accidental-deaths-suicides-india-2018